



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निमाण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा
E-mail-eccdalmorapwd@rediffmail.com



पत्रांक- 1466 / 3सी. (व.भूमि)

दिनांक 19/05/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम,
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में।
संदर्भ:- आपका पत्रांक 2681/12-1, दिनांक 24/01/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सी.ए. स्थल का आर.सी.सी. पिलर द्वारा सीमांकन कर लिया गया है तथा सी.ए. भूमि के वन विभाग के कब्जे में लिये जाने का प्रमाण-पत्र, खतौनी तथा अमलदरामद की प्रति संलग्न कर उक्त कार्य की सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- कब्जा प्रमाण-पत्र, खतौनी तथा अमलदरामद प्रति,
अनुपालन आख्या 6 प्रति मूल में।

o/c

पत्रांक 1466 / 3सी. (व.भू.) दिनांकित।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता I, नि.ख., लो.नि.वि., अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- समस्त अमीन, नि.ख., लो.नि.वि., अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- वनभूमि सहायक, नि.ख., लो.नि.वि., अल्मोड़ा को पत्रावली हेतु प्रेषित।

(इं० विभोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा
Mohan Singh Akash

19/05/2025
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा
Mohan Singh Akash

o/c



पत्रांक 216 / 3सी. (व.भूमि)

दिनांक 18 / 01 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.705 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/10393/2015)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्र सं० -8वी०/यू०सी०पी०/०६/ 124/ 2015/ एफ०सी०/ 1524
दिनांक-08.10.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् है:-

A - बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

1- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4100 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त संख्या 1- प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.410 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं-5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 2- प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सौ पचानब्बे मात्र) की धनराशि तथा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को जमा कर दी गयी है।
3- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या 3- प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दि० 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 का कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली में जमा कराया जाय एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाय।	शर्त संख्या 4- प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सौ पचानब्बे मात्र) तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू० 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है। (चालना की प्रति संलग्न)

5- मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त संख्या 5- प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
--	--

B - सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत् है-

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं० -1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन०पी०बी० देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त संख्या 2- प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.41 है० सिविल एवं सोयम भूमि को छ' माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 3- उक्त बिन्दु का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	शर्त सं०-4 के अनुपालन में वन क्षेत्र के आस-पास कोई लेबर कैम्प विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचे।	शर्त सं०-5 के अनुपालन में निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है तो निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।	शर्त सं०-6 के अनुपालन में परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त सं०-7 के अनुपालन में वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक न हो।	शर्त सं०-8 के अनुपालन में कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक नहीं है।

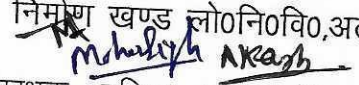
9	प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जायेगा।	शर्त सं0-9 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
10	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्त सं0-10 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त सं0-11 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	शर्त सं0-12 उक्त बिन्दु के अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या को अपने स्तर से नोडल अधिकारी, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार

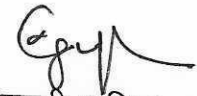
%

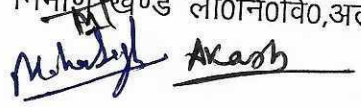

(इं० विमोद गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


प्रतिलिपि-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:-वनभूमि सहायक, नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को पत्रावली हेतु प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


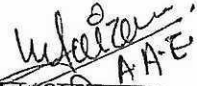
%

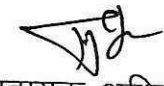
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० १)

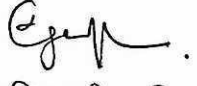
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण

प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.410 है० ग्राम कालनू सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को सहमति करते हुए यथासंशोधित) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर ली गयी है। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 2)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सौ मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सौ पिचानब्बे मात्र) की धनराशि तथा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ मात्र) लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को जमा कर दी गयी है।


Akash

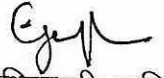
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


A.A.E.

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



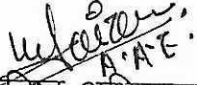
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 3) वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7,64,800.00 (सात लाख चौसठ हजार आठ सो मात्र) तथा एन०पी०वी० हेतु 25,39,995.00 (पच्चीस लाख उनचालीस हजार नौ सो पिचानब्बे मात्र) तथा मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण की धनराशि रू० 11,28,300.00 (ग्यारह लाख अट्ठाईस हजार तीन सो मात्र) तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन कैम्पा में जमा कर दी गयी है।

 Arash

अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

 A.A.E.

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



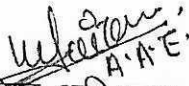
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

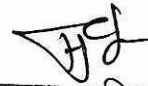
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर मार्ग के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

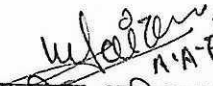

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० १)

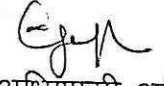
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

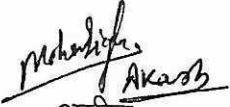

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० २) वचनबद्धता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एन०पी०वी० की नयी दरों के अनुसार धनराशि 9,57,164.00 (नौ लाख सत्तावन हजार एक सौ चौसठ मात्र) की धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 04.01.2025 को जमा कर दी गयी है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ३)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से किया जाना है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

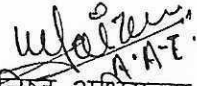

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 4)

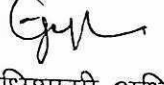
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वन क्षेत्र के आस-पास कोई लेबर कैम्प विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

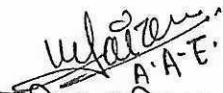

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

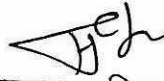
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 5)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाती है तो निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

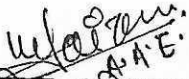

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 6)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

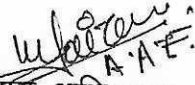

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

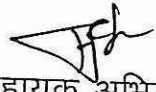
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 7)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

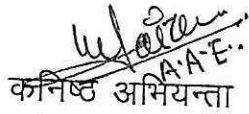
प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 8)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

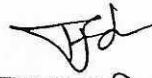
प्रमाणित किया जाता है कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक नहीं है।




अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० ९)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।



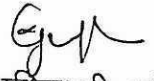
अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



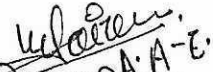
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 10)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलुवा नहीं फेंका जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

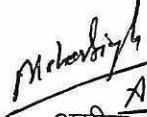

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

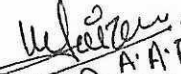

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 11)

कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

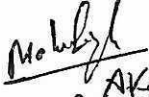

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

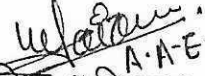

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं० 12)

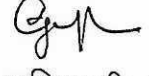
कार्य का नाम— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बिन्दु का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्त अभिकरण सहमत है।


अमीन
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड,
लो०नि०वि०, अल्मोड़ा



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2750809,
ईमेल/Email - moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० 08वीं/यू0सी0पी0/06/124/2015/एफ0सी0/1524

दिनांक: 8, 10, 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-अल्मोड़ा के अंतर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग (भाग-I) हेतु 2.705 हे० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक संख्या-346/X-4-15/1(167)/2015 दिनांक-21.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र एवं On Line Proposal No. FP/UK/ROAD/10393/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे जिनकी अनुपालन online प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद-अल्मोड़ा के अंतर्गत बरतोली से बानढोक मोटर मार्ग (भाग-I) हेतु 2.705 हे० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.4100 हे० ग्राम-कालून सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) गणना की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रयन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
 2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
 3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.4100 हे० भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
 4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
 5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
 6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
 7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
 8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 529 से अधिक न हो।
 9. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
 10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
 11. यदि कोई अन्य सम्वन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
 12. ऐसी कोई भी अन्य शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।
- यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम०एस० नेगी)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम०एस० नेगी)
उप वन संरक्षक

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08-10-2015 से अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में बरतोली से वानढौक मोटर मार्ग (भाग 1) के निर्माण हेतु 2.705 है० वन भूमि का प्रशान्तिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावित करने की सिद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बदले दांगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है० सिविल भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने के निर्देश के कम में पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 3962/ग्यारह-14/2015 दिनांक 03-03-2015 के द्वारा ग्राम कालनू, पटवारी क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत के गैर ज०वि० ख०ता० संख्या-19/226 की श्रेणी-9(3)ड योग्य बंजर भूमि के पैमायशी ख०ता न०-7230 मध्ये रकबा 1.841 है० एवं खेत न०-7237 मध्ये रकबा-0.841 है० इस प्रकार कुल-2.705 है० सिविल भूमि का क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या 3439/3सी०(व०भू०) दिनांक 08-10-2024 एवं पत्र संख्या 3651/3सी० व०भू० दिनांक 30-11-2014 से उक्त जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से वानढौक मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 03-03-2015 के सापेक्ष 2.705 है० सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत बरतोली से वानढौक मोटर मार्ग के निर्माण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.705 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु दांगुनी क्षेत्रफल की कुल 5.4100 है० सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-2173/XVIII (II)/2012-18 (120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अनुरोध के कम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत द्वारा पत्र संख्या 228(मु०)/क्षतिपूर्क वृक्षारोपण/2024-25, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की खतौनी, खसरा, नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/124/2025/एफ.सी./1524 दिनांक 08-10-2015 के द्वारा निर्गत सिद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु पूर्व स्वीकृत 2.705 है० भूमि के अतिरिक्त ग्राम कालनू, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पाखुड़ा तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के गैर ज०वि० ख०ता० संख्या-19/226 श्रेणी 9(3)ड, बंजर काबिल आबाद के खेत संख्या-2092 मध्ये रकबा 2.705 है० सिविल भूमि को क्षतिपूर्क-वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, रानीखेत तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 02 जनवरी, 2025

(अलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या-2194 / ग्यारह-14/2015,

दिनांक 03 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
- 5- तहसीलदार, रानीखेत को उक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

(अलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

प्रति सम्पादित

प्रति

वृक्षारोपण

नकल खतौनी गैर जमींदारी विभाग

ग्राम कालन

रा० उ० नि० क्षेत्र पालुडा तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा

खता संख्या	खतदार का नाम	खत संख्या	रकबा हे०	विवरण
19/236	बेबर का आ.	2	0.388	जमीन पट्टा अधिकारी महोदय के आ० सं० 3960 ग्यारह-12-2015 दि० 3/3/2015 के आ० कलन परवारी क्षेत्र पालुडा तहसील रानीखेत के गैर व. वि. ख. खा० सं० 19/236 की जैदी ग(उ)उ योग्य बेबर क्षुब्ध के पैगारणी खेत नं० 7233 मध्ये कुल रकबा 1.333 हे० सिमित क्षुब्ध क्षतिपूर्त वृद्धारोपण हेतु वन विभाग रानीखेत के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामांतरित की जाती है।
		4	0.429	
		9	0.050	
		16	0.098	
		↓	↓	
		क्रमशः	क्रमशः	↓ क्रमशः
		2089	0.018	जमीन पट्टा अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश संख्या 2194/ग्यारह-14/2015 दिनांक 3 जनवरी 2025 के अनुसार ग्राम-कालन की गैर व. वि. ख. खा० संख्या 19/226 जैदी ग(उ)उ बेबर काबिल आबाद के खेत संख्या 2092 मध्ये रकबा 2.705 हे० सिमित क्षुब्ध को बरतेशी से बने मोटरमार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित वन क्षुब्ध के सौंपका क्षतिपूर्त वृद्धारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामांतरित की जाती है।
		2090	0.030	
		2092	3.306	
		2093	0.043	
		↓	↓	
		क्रमशः	क्रमशः	↓ क्रमशः
		7238	1.029	सु० आ० नयाबाद नं० 152/340/539 सन 70-71 जमीन कुमाऊँ कमिश्नर दिनांक 15/5/72 के इनराम उ० नगराय को खेत नं० 3961 म० 5 नाली क्षुब्ध कगीया हेतु स्वीकृत होने पर अमल दरामद ग्रान्ट के रूप में किया।
		7240	0.039	
		7249	1.055	
		7250	4.235	
		↓	↓	
	योग	492	116.146	

मे 89/15/01/25
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...पालुडा...
तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा)

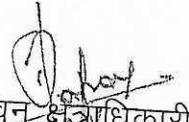
प्राप्त अभ्यापित

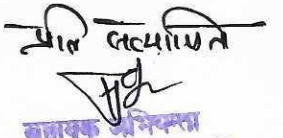
पुष्ट

सहायक अभियन्ता
मिर्च बगड, लो० डि० डि०
अल्मोड़ा

कब्जे में लिए जाने का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत बरतोली से बानठोक मोटर मार्ग के निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम कालनू का क्षेत्र जो तीन खण्डों में प्राप्त हुआ है। प्रथम खण्ड 0.841 है०, द्वितीय खण्ड 1.864 है०, तृतीय खण्ड 2.705 है० कुल (5.410 है०) सिविल भूमि का लोक निर्माण विभाग अल्मोडा, राजस्व उपनिरीक्षक पाखुडा व वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त प्रथम खण्ड (0.841 है०), द्वितीय खण्ड (1.864 है०) तथा तृतीय खण्ड (2.705 है०) की अलग-अलग पिलरबंदी का कार्य करवा लिया गया है। उक्त भूमि को वन विभाग द्वारा कब्जे में ले लिया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी
रानीखेत वन क्षेत्र।


बहादुर अभियन्ता
निर्माण खण्ड, १०० मि० मि०
दरभोड़ा

बरेली से वा.पं.क.त.क. के मा.पं.

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-03-2016

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
Application No.	ROAD103932015418
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD AlmoraAlmora
Amount(in Rs)	4433095/-

Amount In Words :Forty-Four Lakh Thirty-Three Thousand
and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD103932015418
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

PIF No. : ROAD1039320154

Serial : 3



प्रति लक्ष्मण

सहस्रक अधिकारी

निर्माण विभाग, लो. वि. वि.
बरेली

4/25, 11:22 AM

Challan

AGENCY COPY

Challan for collection of CAMPA fund
Date : 04-01-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110393671
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/124/2015-FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eeecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(In Rs)	957164/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Nine Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Transaction Number	Branch Stamp
--------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of CAMPA fund
Date : 04-01-2025

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
PIF/Application No.	6110393671
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/124/2015-FC
Address.	Construction Division PWD Almora Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eeecdalmorapwd@rediffmail.com 9759892120 5962-230091
Amount(In Rs)	957164/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Nine Lakh Fifty-Seven Thousand One Hundred and Sixty-Four Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Transaction Number	Branch Stamp
--------------------	--------------

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdesi

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference

6016020250116889238

<https://forestsclearance.nic.in/useraccount/GenerateChallanCorp.aspx?pid=ROAD103932015671>

FP/UK/ROAD/10393/2015 Bartoli-Banthok Motor Road(Part I)	ROAD103932015671	61.1039367108 Oct 2015	CA: 0/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 957164/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 957164/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 03 Jan 2025 Bank Name: Bank Of India Union Bank Of India (Challan) Mode of Payment 09 Jan 2025 Challan Generated On Transaction Date 10 Jan 2025	Demand Letter
--	------------------	------------------------	--	--	--	---------------


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण विभाग, लो० नि० वि०
 जिला प्रमुख, जालंधर